न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद (समक्ष : पी०सी०आर्य)

प्रकरण कमांक: 14बी <u>/ 14 इ०दी०</u> संस्थापन दिनांक 15.07.13 फाईलिंग नंबर—230303000252013

दि सुप्रीम इण्डस्टीज लिमिटेड (पी0पी0डी0) एन—1 से एन—12 घिरोंगी इण्डस्ट्रीयल एरिया मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा— विवेक सक्सेना सीनियर कमर्शियल मैनेजर सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मालनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

<u>.....वा</u>

वि रू द्ध

नेक्सस इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड 201 रॉयल मैनोर लॉ गार्डन के पास एलिस बिज अहमदाबाद 380006 द्वारा– प्रबंधक नेक्सस इन्फ्राटेक प्रा0लि0

..प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा श्री शंकर सहाय श्रीवास्तव अधिवक्ता

_::-समझौता आ दे श —::-(आज दिनांक 23.04.16 को पारित)

- 1. यह आदेश मासिक नेशनल लोक अदालत में प्रकरण में पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर प्रसारित किया जा रहा है।
- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी कंपनी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और प्रतिवादी कंपनी का मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। यह भी निर्विवादित है कि दोनों कंपनियों के मध्य व्यापारिक समव्यवहार हुआ था। यह भी निर्विवादित है कि वादी कंपनी की उत्पादन इकाई मालनपुर जिला भिण्ड में स्थित है।
- 3. वादी कंपनी की ओर से मूल वाद प्रतिवादी कंपनी के विरूद्ध वर्क ऑर्डर कमांक—245 दिनांक 26.11.10 के संबंधित पत्र दिनांक 24.02.11 के समव्यवहार से आधारित होकर प्रतिवादी कंपनी से वादी की मालनपुर स्थित उत्पादन इकाई स्पाईडर रूफिंग के निर्माण हेतु तथा उसके लिये मटेरियल सप्लाई पर से पेश किया गया है जिसमें प्रतिवादी कंपनी के द्वारा किये गये निर्माण का स्तर खराब होने से वादी कंपनी को हुई क्षित की भरपाई हेतु वाद 19,29,378/—रूपये एवं उस पर वाद प्रस्तुति दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी कंपनी ने वादी के वाद आधारों को प्रस्तुत वादोत्तर में इन्कार किया है और मूलतः यह आधार लिया है कि उनके द्वारा जो निर्माण कार्य

किया गया है वह उचित ग्णवत्ता का किया गया और सेल्फ फर्मिंग का कार्य विशेष मशीनों द्वारा किया गया था और यह संतोषजनक पाया गया था और उसका प्रमाण पत्र भी दिया गया था। इसलिये दावा सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

- वाद लंबित रहने के दौरान उभय पक्षकारों के मध्य जो मासिक नेशनल लोक अदालत में लिखित समझौता दोनों कंपनियों के मध्य विवाद के समाधान हेत् तय किये गये मिनिट्स के आधार पर पेश किया गया है जिसमें दोनों पक्षकारों के मध्य यह तय हुआ था कि वादी एवं प्रतिवादी कंपनी वादोक्त लेनदेन से संबंधित अब आगे भविष्य में कोई भी क्लेम नहीं करेंगे। और मालनपुर स्थित वादी कंपनी की इकाई पर जो शेड प्रतिवादी कंपनी द्वारा बनाया गया है उसका इस्तेमाल वादी कंपनी अपनी मर्जी अनुसार कर सकेगी। या उसे विक्रय कर या कबाड़ी को बेचकर उसकी धनराशि प्राप्त कर लेगी और उसमें प्रतिवादी कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं होगा न कोई आपित्ति होगी। यह भी तय हुआ था कि वे प्रकरण का व्यय स्वयं वहन करेंगे और उनके मध्य अब कोई विवाद नहीं रहा है। जिस संबंध में वादी एवं प्रतिवादी कंपनियों के नियुक्त प्रभारी अधिकारियों आनंद मोहन सक्सेना एवं अमन शाह के राजीनामा कथन भी लेखबद्ध किये गये। अतः समझौते की शर्ते विधि विरूद्ध न होने एवं समझौता स्वेच्छ्यापूर्वक कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने से तथा मूल वाद भी समझौते के तहत पूर्ण तुष्टि हो जाने को देखते हुए समझौता विचारोपरान्त स्वीकार किया जाता है और समझौते के आधार पर उभयपक्ष पर बंधनकारी निम्न आशय की समझौता डिकी प्रदत्त की जाती है कि :--
 - विचाराधीन वाद की विषय वस्त् से संबंधित वादी एवं प्रतिवादी कंपनी भविष्य में कोई भी विवाद या क्लेम नहीं करेंगे तथा वादी की मालनपुर स्थित उत्पादन इकाई में जो शेड प्रतिवादी कंपनी द्वारा बनाकर रखा हुआ है उस पर अब एकाधिकार वादी कंपनी का रहेगा। वादी कंपनी उक्त शेड का अपनी इच्छानुसार व्ययन कर सकेगी। चाहे तो स्वयं इस्तेमाल करे या विक्रय कर दे या कबाड़ी को बेच दे और उसकी धनराशि स्वयं प्राप्त कर ले, उसमें प्रतिवादी कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
 - समझौता आवेदन पत्र एवं मिनिटस समझौता डिकी का अंग रहेंगे। 2.
 - उभय पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अभिभाषक शुल्क 3. प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो, उसका आधा भाग ही जोड़ा
 - वादी कंपनी द्वारा भुगतान किये गये न्यायशुल्क की संपूर्ण राशि उसे विधिवत 4. वापिस की जावे।

तदनुसार समझौता डिकी तैयार की जावे। दिनांक—23.04.16

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड